International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 5, September-October, 2026

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक विकास में महिला स्वयं सहायता समूह का योगदान: छिंदवाड़ा जिला के संदर्भ में

कचरया कावड़े

शोध छात्र, भारती विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

'भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण व कृषि प्रधान है। देश के सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में 'ग्रामीण विकास' का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत भाग, करीब 5.5 लाख गांवों में निवास करता है और लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।'[1] अर्थव्यवस्था में महिला श्रम व उसकी सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में कुल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की बदौलत ही उत्पादित होता है। 'उत्पादन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का रेखांकित करने योग्य योगदान है। बात चाहे हम कृषि व ग्रामीण रोजगार की करें या चाहे हम महानगरों में आधारभूत ढांचे की करें, ग्रामीण महिलाऐं अपने खून–पसीने की मेहनत से आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक ग्रामीण महिला घर व बाहर के कार्यों को मिलाकर 19 घंटे काम करती है। महिला श्रम के इतना अधिक महत्वपूर्ण होने के बाद भी इसकी अलग से कभी चर्चा तक नहीं की जाती, उनकी गतिविधियां अधिकतर गैर–आर्थिक समझी जाती हैं। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत महिलाऐं बुनियादी तौर पर कृषि, पशुपालन आदि गैर संगठित कार्यों से जुड़ी हैं।'[2]

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार की श्रेणी सीमांत कार्यों की है, इन्हें छोटी–मोटी अवधियों के लिए कार्य मिलता है। विशेषकर महिला कृषि श्रमिकों के पास न तो स्वयं की जमीन, न कोई बेहतर काम, न थोड़ी–बहुत पूंजी ही होती है। ऐसी विकल्प व साधनहीन महिलाओं के पास दूसरों के खेत व कृषि से संबंधित कार्य, नियोक्ता की शर्तों पर करने के सिवाय कुछ नहीं होता। गांवों में महिलाऐं घर के सारे काम काज करने के साथ खेतों में निराई–गुड़ाई से लेकर कटाई तक के कार्य लकड़ियां लाना आदि अनेक कार्य महिलाऐं करती हैं, परंतु घर में काम करने वाली महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रहता है। उनके समर्पण एवं मेहनत को काम के रूप में नहीं देखते हैं। ईंट के भट्ठों जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात भी कुछ कम नहीं है।

'भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 39.1 ही है अर्थात, 100 में से केवल 39 लोग ही विभिन्न रोजगारों में लगे हुए हैं। इसमें भी पुरूषों का प्रतिशत बेहद अधिक है और महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। कुल कार्यशील महिलाओं में से भी अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं, जहां उन्हे बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है।[3] वस्तुतः देखा जाए तो कोख से कब्र तक ग्रामीण महिलाओं के हिस्से में सिर्फ तिरस्कार ही आता है। आर्थिक व सामाजिक विकास की बयार से अधिकांश ग्रामीण महिलाऐं आज भी कोसों दूर हैं।[4]

दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर 'ग्रामीण महिला' को सशक्त किए बिना।

'महिला सशक्तिकरण' का सीधा–साधा अर्थ है – सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। दूसरों शब्दों में, महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, मनचाही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना व घर–परिवार व समाज के बारे में स्वतंत्र निर्णय करने का हक देना, सशक्तिकरण है।[5] अन्य अवधारणा के अनुसार, 'महिला सशक्तिकरण' का सीधा सा अर्थ हैं, महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं के हाथ में अधिकार देना तथा उन्हे स्वावलंबी बनाना।[6] इसके अंतर्गत अन्य अर्थ में, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरूषों की बराबरी करना न होकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है।

भारत में भी यह अनुभव किया गया कि व्यक्तिगत अलग–अलग वित पोषण की तुलना में सामूहिक हित चिंतन अधिक प्रभावी माध्यम हो सकता है एवं इसी के फलस्वरूप ''स्वयं सहायता समूह'' की अवधारणा विकसित हुई। स्वयं सहायता समूह, निर्धनों की पहुंच ऋण तक सुनिश्चित करने का एक कारगर एवं अल्पव्ययी बचत की आदत के विकास का एक तरीका है। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य निर्धनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना व उन्हे सामर्थ्यवान बनाना है। स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है, जिसमें समूह के सदस्य अपनी इच्छा से जितनी चाहे बचत आसानी से कर लेते हैं, उसका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों को उत्पादकता अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमति होती है।

'ग्रामीण विकास' के लिए आर्थिक मदद तथा सामाजिक परिवर्तन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, केवल किसी वर्ग विशेष को आर्थिक सहायता पहुंचाकर उसके विकास के आंकड़े दावेदारी सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ वैचारिक परिवर्तन की बात भी जुड़ी हुई है। अतः स्वयं सहायता समूह इसीलिए आवश्यक हैं ताकि गरीब वर्ग के लोग संगठित होकर सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वयं के प्रयासों से कुछ कर सकें। स्वयं सहायता समूहों का गठन किसी भी तरह से बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु नहीं किया जाता, बल्कि समूहों के गठन का उद्देश्य स्वयं की सहायता करना अर्थात गांवों की समस्या का निदान, पारिवारिक समस्याओं का निदान, बचत तथा बचत द्वारा संचित राशि को सदस्यों को ऋण के रूप में प्रदान करना होता है।

महिला स्वयं सहायता समूह

महिला स्वयं सहायता समूह समान स्तर की 10 से 20 महिलाओं का वह समूह है, जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर बचत व साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शरूआत कर सकते हैं। विभिन्न समूहों के अध्ययन से एक विशेष तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के समूह अथवा ऐसे समूह जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, अधिक सफल व निरंतर कार्यशील रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समूह में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सिफारिश की जाती है। वैसे भी महिलाओं में बचत करने की प्रवृत्ति विशेष तौर पर 'गुप्त बचत' की प्रवृत्ति अधिक होती है।

हाल ही में जारी की गई जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ हो गई है, इसमें 58.64 करोड़ महिलाऐं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम और उसकी सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी है। गांवों में असंगठित क्षेत्र में निर्धन महिलाऐं–

(1) इनके पास अपनी जमीन नहीं होती। अधिकांशतः ये अपने परिवारों की देखभाल करती है। कई बार ये महिलाऐं मजदूरी भी करती है व कुछ महिलाएं सामाजिक वानिकी, कुटीर व ग्राम उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्यान्न उत्पादन आदि के भी कार्य करती हैं।
(2) इनके पास कार्य करने के अवसर कम होते हैं तथा इन्हें वेतन भी कम मिलता है। बेरोजगारी, कम – रोजगार तथा आंशिक–रोजगार जैसी प्रवृत्तियां इनमें व्याप्त रहती हैं।
(3) गरीब महिलाऐं, शिक्षा तथा कौशल की कमी होने के कारण शोषण का शिकार ज्यादा होती हैं। ये महिलाऐं केवल शारीरिक श्रम ही कर सकती हैं और उन क्षेत्रों में उन्हें यह कार्य नहीं मिलता, जहां कृषि मशीनीकृत ढंग से होती है।
(4) सामाजिक कारणों से इनकी गतिशीलता बहुत सीमित होती है।
(5) घरेलू जिम्मेदारियों के कारण ये पूर्णकालिक आधार पर कार्य नहीं कर पातीं।

(6) महिलाओं के कार्य का मूल्य कम आंकना हमारे समाज की प्रथा बन गई है। यद्यपि महिला एक दिन में लगभग 19 घंटे कार्य करती है, परंतु उन्हे इस कार्य का मौद्रिक प्रतिफल नहीं दिया है।
(7) बेहतर तकनीकों, औजारों तथा उत्पादन परिसंपत्तियों अर्थात भूमि जैसी सुविधाओं की उनके पास कमी होती है। इस प्रकार की महिलाऐं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में हैं।[7]

भारत की सही मायनों में विकसित तभी माना जाएगा, जबकि विकास की धारा अंतिम पायदान पर खड़ी निर्धनतम महिला तक पहुंच सके। ऐसी महिलाओं के सुदृढ़ीकरण (सशक्तिकरण) का 'स्वयं सहायता समूह' एक प्रभावी उपकरण माना गया है। महिला स्वयं सहायता समूह एक प्रभावी में शक्ति पर आधारित महिलाओं का औपचारिक समूह है जो जीवन से जुड़े ज्ञान व कौशल का व्यवस्थित तरीके से उपयोग कर महिला सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। 'सशक्तिकरण' से महिलाओं को अधिकार मिलते हैं और इन अधिकारों का उपयोग कर वे स्वयं निर्णय ले सकती हैं। आर्थिक स्वावलंबन ने महिलाओं को शोषण व उत्पीड़न से मुक्त कराया है।

भारत में लगभग 30 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें से आधे से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सरकारी व गैर सरकारी स्त्रोतों से वित पोषित किया जा चुका है, फलस्वरूप देश के लगभग 329.8 लाख परिवारों को सूक्ष्म वित की क्रांति से लाभान्वित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत में गठित कुल स्वयं सहायता समूहों में 90 प्रतिशत से अधिक समूह, महिला समूह हैं। लगभग 43 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह देश के दक्षिण प्रांत में गठित किए गए। इसी प्रकार वित पोषण के अंतर्गत आए सदस्यों की संख्या अन्य प्रदेशों की तुलना में दक्षिणी प्रदेशों में अधिक है।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण श्रम प्रधान है। विपुल संसाधनों के बावजूद भी एक–तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके समाधान में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे है। इसके गठन में ग्रामीण प्रशासन व गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार में 27,695 समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसकी सदस्य संख्या 3,59,549 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के सदस्य 37,814, अनुसूचित जनजाति के सदस्य 1,14,38 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 89,718 सदस्य हैं। शेष सदस्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं विधवा तथा परिव्यक्त महिलाऐं हैं।

छिंदवाड़ा जिला में मानव संसाधन के रूप में आबादी के आधे से अधिक महिलाऐं हैं। जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या में से 58.65 प्रतिशत महिला कृषक 32.34 प्रतिशत खेतिहर मजदूर, 1.75 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग तथा 7.23 प्रतिशत अन्य क्रियाकलापों में संलग्न हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, छिंदवाड़ा जिला में गठित कुल महिला समूहों की संख्या 7,653 है जो आंतरिक ऋण व्यवस्था एवं महिला कोष तथा बैंकों से ऋण प्राप्त कर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर जिले के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार में छिंदवाड़ा जिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, संचालन एवं उपलब्धियों के कारण सर्वोच्च स्थान पर है।

स्वयं सहायता समूह का गठन आज चाहे देश में नए तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा हो, लेकिन पुरातन से ही हमारे देश में रहने वाले लोग एक दूसरे से मिलकर और उनकी भावनाओं की अच्छी तरह से समझकर कार्य करने की विधि अपनाते रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की आधुनिक संरचना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। बांग्लादेश में लोगों ने समूह में रहकर सामूहिक बचत करके अपने दिन–प्रतिदिन की आर्थिक क्रियाओं को वित्तीय स्त्रोत प्रदान करने का साधन बनाया। इन सभी प्रयोगों का परिणाम यह रहा कि लोगों को यह विश्वास हो गया कि स्वयं सहायता के माध्यम से वे न केवल एक साथ मिल जुलकर कार्य करने की भावना को बल प्रदान कर सकेंगे, बल्कि आर्थिक क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न क्रियाओं को अपनाकर लाभ उठा सकेंगे।

स्वयं सहायता समूहों की उपयोगिता ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करने से अधिक महिलाओं के सशक्तिकरण में सिद्ध हुई है। समूहों में महिलाओं की भागीदारी से परिवार के उत्थान में उनकी भूमिका बढ़ रही है, उनके श्रम व कौशल को मिली मान्यता से महिलाओं में आत्मविश्वास व आत्म सम्मान का भाव सुदृढ़ हुआ है। उनका सम्मान बढ़ने से परिवार में लड़कियों के प्रति भेदभाव व उपेक्षा कम हुई है। समूहों की बदौलत ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक रूतबा बढ़ा है। स्वयं सहायता समूहों से मिले लघु ऋणों से महिलाओं को

सूदखोर व्यवस्था से काफी हद तक छुटकारा पाने में मदद मिली है। इन समूहों के जरिए बचत की आदत ने महिलाओं में नए तरह की आर्थिक जागरूकता पैदा कर दी है।

अध्ययन क्षेत्र

छिंदवाड़ा जिले का निर्माण वर्ष 1972 को किया गया। जिले के निर्माण के पूर्व छिंदवाड़ा दरभंगा जिला का क्षेत्र माना जाता था। छिंदवाड़ा जिला का क्षेत्रफल 10293 वर्ग कि0 मी0 है। इसके उत्तर में नरसिंहपुर, पुरव में सिवनी, पश्चिम में बैतूल और दक्षिण में नागपुर जिला है। यह जिला पुरानी रियासतों तथा जमींदारों का क्षेत्र रहा है। जिले में 5 सब डिविजन है, 9 प्रखंड है, 12 अंचल है, पंचायतों की संख्या 659 है, 1965 गाँव, 22 थाना, 5 ऑटपोस्ट, 4 शहरी ऑटपोस्ट, 2 जेल, 2 लोकसभा क्षेत्र, 11 विधानसभा क्षेत्र, 56 जिलापरिषद सदस्य, 555 पंचायत समिति सदस्य तथा 5523 ग्राम पंचायत सदस्य है। इन प्रसासनिक एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा जिले का कार्य संपादित किया जाता है। छिंदवाड़ा जिला की कुल जनसंख्या 20,90,922 है। जिले में कुल 12,94,198 साक्षर हैं। जिसमें 7,31,294 पुरूष तथा 5,62,904 महिलाऐं साक्षर है। जिले में साक्षरता दर 71.16 प्रतिशत है। जिसमें 50.91 पुरूष तथा 49.09 महिलाएं है। जिले में पेय जल की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अंतर्गत 1034 गाँव में पेय जल व्यवस्था है। 1035 गाँव में सुरक्षित पेय जल व्यवस्था है। 437 गाँव में बिजली की व्यवस्था है। 323 गाँव में घरेलू बिजली व्यवस्था है। 30 गाँव में कृषि कार्य हेतु बिजली व्यवस्था है। 901 गाँव में प्रार्थमिक स्कूल है। 382 गाँव में मध्यविद्यालय है। 119 गाँव में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। 27 कॉलेज है। 232 चिकित्सा केन्द्र है। 48 प्रार्थमिक स्वास्थ केन्द्र है। 157 प्रार्थमिक उप स्वास्थ केन्द्र है। 432 गाँव में डाक तार की व्यवस्था है। जिले में 164 बस सेवाए है। 547 पक्की सरक है, 986 कच्ची सरक है। इस प्रकार छिंदवाड़ा जिला में यातायात की सुविधाए तो हैं परंतु ये प्रर्याप्त नही है। भौगोलिक रूप से छिंदवाड़ा जिला समुद्री तल से 80 मी0 की ऊचाई पर अवस्थित है। यह स्थान 25°–59श से 26°–39श के अक्षांस पुरव तथा 85°43′ से 86°42′ देसांतर उत्तर में अवस्थित है। भौगोलिक स्तर पर छिंदवाड़ा जिला में निम्न सममतल भूमि की बहुलता है जो कई जलग्रहण क्षेत्र से प्रभावित है।

अध्ययन का उद्देश्य

(1) स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन,
(2) समूह के सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण का परीक्षण एवं,
(3) समूह का सदस्यों की आय वृद्धि पर प्रभाव।

परिकल्पनाऐं

- जिन समूहों की मासिक बचत एवं प्रति व्यक्ति बचत अधिक होगी, ऐसे समूहों में ऋण लेने वाले सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी।
- स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता उपरांत ऋण प्राप्ति के स्त्रोतों में वृद्धि के साथ साहूकारों एवं सबंधियों पर वित्तीय निर्भरता कम होगी।
- अध्ययन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्यता पश्चात व्यय प्राथमिकताओं व राशि में अंतर होगा।
- अध्ययन क्षेत्र में समूह की महिला सदस्यों की मासिक आय में वृद्धि के फलस्वरूप उनकी बचत व उपभोग व्यय की मात्रा भी बढ़ेगी।
- स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली से महिलाओं में सहकारिता की भावना का विकास होगा एवं शासन द्वारा संचालित महिला विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जानकारी का दायरा बढ़ेगा ।

निष्कर्ष

एक समय में जो महिलाएं अशिक्षित तथा अज्ञानी थी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, भोजन की पौष्टिकता तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूक हो गई हैं। प्रौढ़ शिक्षा मिशन द्वारा वे एड्स शिक्षा, साफ–सफाई तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हुई हैं। शासकीय कार्यक्रमों जैसे नीरू – मीरू, महिला जन्मभूमि इत्यादि के दखल के कारण वे अपनी शक्ति के प्रति जागरूक हुई। 'मितव्ययता' जिस पर स्वयं सहायता समूह आधारित है, ने अपने सदस्यों को अपनी आय में से कुछ बचत करने के लिए प्रेरित किया। ये छोटी बचतें उनके आर्थिक संकट में काफी मददगार साबित हुई। स्वयं सहायता समूह आंदोलनों से महिलाओं में नेतृत्व गुणों का भी विकास किया जिससे वे समूह की बात को सामने लाने में सक्षम हुई।

संदर्भ सूची

1. सिन्हा आर. के., फैमिदा शेख, मनोज सक्सेना, एन. के. खरे स्व सहायता समूह – गठन प्रक्रिया एवं मागदर्शन उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) भोपाल, 2000, पृष्ठ –1।
2. त्रिपाठी मधुसूदन 'भारत में महिला श्रमिक' खुशी पब्लिकेशन, गाजियाबाद, 2011, पृष्ठ 11, 12।
3. सिंह निशांत स्त्री सशक्तिकरण एक मूल्यांकन, खुशी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ – 17।
4. वही, पृष्ठ 18।
5. श्रीवास्तव मनोज पंचायती राज के जरिए राजनीतिक रूप से सशक्त हुई महिलाऐं कुरूक्षेत्र सितंबर वर्ष 57, 2011, अंक–11 पृष्ठ – 13।
6. यादव चन्द्रभन बालिका शिक्षा से ही होगा देश का विकास कुरूक्षेत्र वर्ष 57, 2011, अंक 11, पृष्ठ 24।
7. वही, पृष्ठ 25।